

कार्यालय जिला परिषद, जहानाबाद।

सैरातों की बन्दोबस्ती की आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, जहानाबाद के बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रखंडों/शहरी क्षेत्र में सच्ची-मंडी, हॉट-बाजार, सिन्दुरिया किराना इत्यादि का सैरात निर्माण: अस्थायी बन्दोबस्ती वितीय वर्ष 2017-18 से बन्दोबस्ती की जाय जिससे जिला परिषद की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तदनुसार निचे अंकित जिला परिषदीय भूमि पर पूर्व से संचालित सैरातों की बन्दोबस्ती खुले ढाक द्वारा विकास भवन, जहानाबाद में 11 बजे पूर्वाह्न में निचे अंकित तिथियों को की जायेगी।

क्र० सं०	जिला परिषद सैरातों की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की राशि	प्रथम ढाक की तिथि	द्वितीय ढाक की तिथि (बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में)	तृतीय ढाक की तिथि (बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में)
1	जहानाबाद उर्दा स्टेशन चाणक्या होटल के निकट अवस्थित जिला परिषदीय भूमि खाता नं० 350 प्लॉट नं० 131 पर संचालित सच्ची मंडी का बन्दोबस्ती	100000/-	10000/-	20.03.17	24.03.17	28.03.17
1	देहटा जिला परिषदीय भूमि पर खाता नं० 1090 प्लॉट नं० 3605, 36011 पर लगनेवाले बाजार की बन्दोबस्ती	50000/-	5000/-	20.03.17	24.03.17	28.03.17
2	बन्धुगंज जिला परिषदीय भूमि खाता नं० 109 प्लॉट नं० 07 पर लगनेवाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000/-	5000/-	20.03.17	24.03.17	28.03.17
3	शकुराबाद जिला परिषदीय भूमि खाता सं० 02 प्लॉट नं० 45 पर लगनेवाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000/-	5000/-	20.03.17	24.03.17	28.03.17
4	हुलासगंज जिला परिषदीय भूमि खाता नं० 125 प्लॉट नं० 133,932,702/1311 पर लगनेवाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000/-	5000/-	20.03.17	24.03.17	28.03.17
5	घोषी जिला परिषदीय भूमि खाता नं० 1055 प्लॉट नं० 5311,5312,5313 पर लगनेवाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000/-	5000/-	20.03.17	24.03.17	28.03.17

1. ढाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को ढाक के पूर्व आचरण प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
2. ढाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को सुरक्षित जमा का 10% राशि मात्र ढाक में भाग लेने के पहले जिला परिषद में नगद अथवा बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्रॉफ्ट उपविकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद के नाम से अग्रधन के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
3. सफल ढाक वक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि का समायोजन बन्दोबस्ती की राशि में एक मुस्त कर ली जायेगी तथा शेष व्यक्तियों को सुरक्षित जमा की राशि वापस कर दी जायेगी।
4. विभागीय नियमानुसार बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को बन्दोबस्ती की राशि का 5% एवं 5% कुल 10% राशि क्रमशः निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में अलग से देना अनिवार्य होगा।
5. ढाक में सफल होने वाले व्यक्ति को ढाक की राशि का आधा एक मुस्त ढाक समाप्ति के उपरांत तुरंत जमा करना होगा। तथा शेष आधी राशि दो किस्तों में तीन महिने के अन्दर जमा करना होगा।
6. ढाक में सफल होने वाले व्यक्ति द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में सुरक्षित जमा की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय ढाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की जायेगी।
7. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति द्वारा सैरात भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा।
8. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को जिला परिषद द्वारा पूर्व में बन्दोबस्ती दुकानदारों से किसी भी प्रकार का चुंगी वसूल नहीं करना होगा।
9. राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित चुंगी ही वसूलनीय होगी।
10. उच्चतम ढाक की आधी राशि एवं एकरारनामा निर्बंधित होने के उपरांत ही चुंगी वसूली का कार्यदिश निर्गत किया जायेगा।
11. कार्यदिश निर्गत करने के उपरांत ही उच्चतम ढाक वक्ता चुंगी वसूली के हकदार होगा।
12. बिना पूर्व सूचना के बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. बिना कारण बताये किसी भी समय बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. विवाद की स्थिति में किसी भी वैधानिक कार्यवाई का कार्य क्षेत्र जहानाबाद होगा।

नोट:- बन्दोबस्ती संबंधी विशेष जानकारी जिला परिषद कार्यालय, जहानाबाद एवं जिला के वेबसाईट www.jehanabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

उप विद्युत आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद